

परेवठी
25/11/2021

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

<p>राजस्थान प्रजा लालपुत्र पटवारी</p>	<p>ब ना म</p>	<p>प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी</p>
<p>राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत</p>		
<p>वाद-पत्र नम्बर 229 / 2021</p>		<p>GCMS No. 2021/948</p>
<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज</p>	
<p>25/11/2021</p>	<p>वादी श्री राजपुत्र पुत्र लालपुत्र जाति लाल निवासी परेवठी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परेवठी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2076 ग्राम परेवठी पटवार मण्डल परेवठी के खाता नम्बर 242 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि राजपुत्र प्रजा लालपुत्र दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम राजपुत्र प्रजा लालपुत्र है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 5930 4283 8528 मतदाता पहचान पत्र R/59/1004/2019 अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी परेवठी भू.अ.नि. लालपुत्र एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	
<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>		<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>

5/11/2021